प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिंनाक :–25.01.2021

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के ग्राम मथानिया प्रथम की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा , खसरा नम्बर 293 रकबा 1 बीस्वा , खसरा नम्बर 294 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 52 बीघा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीस्वा, खसरा नम्बर 469 रकबा 13 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 921 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 922/1 रकबा 80 बीघा 11 बीस्वा, व खाता नम्बर 84 के खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 471 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 472 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 13 बीघा 19 बीस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम करणीदान पुत्र बैजदान जो राजस्व कर्मचारियो की भूल से अशुद्ध दर्ज कर दिया जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज है । जब कि प्रार्थी का सही नाम करणसिंह पुत्र श्री बैजदान है । उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम की है । हल्का पटवारी ने प्रार्थी का नाम करणसिंह के स्थान पर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम की है । हल्का पटवारी ने प्रार्थी का नाम करणसिंह के स्थान पर करणीदान नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया जो अशुद्ध है । प्रार्थी को अभी हाल ही मे राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम करणसिह के स्थान पर करणीदान दर्ज है । जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के विकाश कार्य करवाने मे बैक से ऋण आदि लेने मे कठीनाई हो रही है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम करणीदान दुरूस्त करवा कर करणसिंह शुद्ध करवाना चाहता है । राजस्व रेकर्ड मे हल्का पटवारी की भूल से प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिसे प्रार्थी राजस्व रकर्ड दुरूस्त करवा कर शुद्ध करवाने का अधिकारी है । उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है जिसे यदि शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। उपरोक्त खसरान की भूमि मे करणीदान नाम के किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही रहा है और न ही करणीदान पुत्र बैजदान की वल्दियत की गांव मे कोई निवास करता है । उक्त खसरान की भूमि मे करणसिंह का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की सही सकुनत के लिए मतदाता ,राशन कार्ड , ग्राम पंचायत की तस्दीक, की फोटो प्रतिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न पेश किये है।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार तिवंरी की जांच रिपोर्ट मे ग्राम मथानिया प्रथम की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा , खसरा नम्बर 293 रकबा 1 बीस्वा , खसरा नम्बर 294 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 52 बीघा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीस्वा, खसरा नम्बर 469 रकबा 13 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 921 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 922/1 रकबा 80 बीघा 11 बीस्वा, व खाता नम्बर 84 के खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 471 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 472 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 13 बीघा 19 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

खातेदार का नाम करणीदान पुत्र श्री बैजदान दर्ज है जिसके स्थान पर करणसिंह पुत्र श्री बैजदान शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ती नही है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम मथानिया प्रथम की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा , खसरा नम्बर 293 रकबा 1 बीस्वा , खसरा नम्बर 294 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 52 बीघा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीस्वा, खसरा नम्बर 469 रकबा 13 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 921 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 922/1 रकबा 80 बीघा 11 बीस्वा, व खाता नम्बर 84 के खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 471 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 472 रकबा 1 बीस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 13 बीघा 19 ब76ीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी की वल्दियत करणीदान पुत्र श्री बैजदान को दुरूस्त कर उसके स्थान पर करणसिंह पुत्र श्री बैजदान दर्ज किया जावे । तहसीलदार तिवंरी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, ओसियां

निर्णय आज दिंनाक 25.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner